न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 55/2023 (GCMS C.N. 2023/410)
आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार बिजौलिया

बनाम

1. पप्पू पिता जालम भील निवासी ग्राम आंटी तह–बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. कालू पिता जालम भील निवासी ग्राम–आंटी तह– बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 9/03/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि *जालम पिता गोकल भील* निवासी *ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा भू0अ0नि क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया* ने **आ.न. 487/11 रकबा 0.8094 भूमि किस्म बारानी** दिनांक **31.12.1983** को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई।
जालम की मृत्यु हो चुकी है एवं अप्रार्थी गैर खातेदार के विधिक वारिसान है। आवंटी व अप्रार्थीगण ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश फरमावें। मौका पर्चा, जमाबंदी,खसरा गिरदावरी, आवंटन आदेश की प्रति संलग्न है।

प्रार्थना पत्र पंजीबंध किया जाकर, विपक्षी को नोटिस जारी करे गए। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौरान बहस विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आंवटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार बिजौलियां द्वारा गलत तथ्यों पर करीब 33–34 वर्ष बाद मियाद बाहर होकर प्रस्तुत किया है, जो सव्यय खारिज होने योग्य है। विपक्षी जवाबदाता एस०टी के व्यक्ति होकर कृषि कार्य से अपने व अपने परिवारजन का भरण पोषण करते चले आ रहे है एवं अनपढ होने से कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं रखते है। जिस बाबत् उक्त कृषि भूमि ही भरण पोषण का एकमात्र साधन है। **विपक्षी के पिता** को ग्राम आंटी की आ.सं 487/11 में दिनांक 31.12.1983 को विधिवत आवंटन हुआ। उनके जीवनकाल में व उनके मृत्यु उपरान्त विपक्षीगण उक्त भूमि पर नियमों शर्तों का पालन कर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि खातेदारी से दर्ज हो जाने से प्रा0पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है।

9.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रा0पत्र व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यों हेतु आवंटन पश्चात् उपयोग में नहीं लाई जा रही है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मृतक गैर खातेदार व उसके वारिसानों का प्रश्नगत भूमि एवं मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है जिसका सत्यापन तहसीलदार बिजौलिया द्वारा किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) **स्वीकार** योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का **स्वीकार** कर विपक्षी जालम(फौत) व उसके विधिक वारिसान विपक्षीगण के नाम आवंटित ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा भू0अ0नि क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया की आ.न. **आ.न. 487/11 रकबा 0.8094 भूमि किस्म बारानी** भूमि आवंटन को **खारिज** किया जाता हैं एवं तहसीलदार **बिजौलिया** को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ०न० की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.3.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)